

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छग. बिलासपुर की स्थापना में 15 पद वाहन चालक के वेतनमान 2610-3540 में एवं 20 पद भृत्य के वेतनमान 2550-3200 में पद सृजन हेतु रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिक निधि अग्रिम स्वीकृत किया है। यह विभागीय बचत किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

1. राज्य शासन द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में 12 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के वेतनमान 9000-14550 में पद निर्माण किया जाना है।

2. राज्य शासन द्वारा नवगठित जिला बीजापुर एवं नारायणपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है इस हेतु निम्नानुसार पदों का सृजन किया जाना है :-

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	02	14200-18350
2	स्टेनोग्राफर	02	4500-7000
3	प्रस्तुतकार	02	3050-4590
4	निष्पादन लिपिक	02	3050-4590
5	आदेशिका लेखक	02	3050-4590
6	साक्ष्य लेखक	02	3050-4590
7	कनिष्ठ नायब नाजिर	02	3050-4590
8	विक्रय अमीन	02	3050-4590
9	प्रतिलिपिकार	02	3050-4590
10	दफ्तरी कम फरोश	02	2550-3200
11	भृत्य	02	2550-3200
12	आदेशिका वाहक	04	2550-3200
13	चौकीदार	02	जिलाध्यक्ष दर
14	वाटरमैन	02	जिलाध्यक्ष दर
15	स्वीपर	02	जिलाध्यक्ष दर
	योग	32 पद	

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 21,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

शासकीय अभिभाषक कार्यालय के भृत्यों वर्दी हेतु राशि रूपये 0.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 4

1. नवीन जिला नारायणपुर एवं बीजापुर में निर्वाचन कार्यालय हेतु पदों का सृजन की आवश्यकता निम्नानुसार है:-

स.क्र.	जिले का नाम	निर्वाचन पर्यवेक्षक(वेतनमान) 4500-7000	स्था. वग 2(वेतनमान))4000-6000	स्थायक वग 3 (वेतनमान) 3050-4590	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (वेतनमान) 3500-5200	भृत्य (वेतनमान) 2550-3200
1	नारायणपुर	01	01	02	01	02

2	बीजापुर	01	01	02	01	02
	योग	02	02	04	02	04

उक्त पदों के सृजन हेतु राशि रूपये 950 लाख का व्यय संभावित है। यह विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के कम्प्यूटर सेल के वेतन भत्तों हेतु आकस्मिकता निधि से रूपये 1.12 लाख स्वीकृत किया गया है।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 1,12,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 5

मुख्य निर्वाचन कार्यालय हेतु मतदाता सूचियों का मुद्रण एवं तैयारी हेतु अतिरिक्त प्रावधान राशि रूपये 600.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 6

मतदाताओं के फोटो परिचय पत्रों की तैयारी एवं वितरण हेतु अतिरिक्त प्रावधान राशि रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 7 से 9

माध्यस्थम अधिकरण में चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रूपये 100-100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा। वाहन मरम्मत हेतु रूपये 1.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,200 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 10

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।